प्रेस विज्ञप्ति

08.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स गोमिलियन्स एलएलपी से संबंधित धन शोधन मामले में लगभग 15.25 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियाँ कुर्क कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स गोमिलियन्स एलएलपी के प्रवर्तकों ऋषिराज गोगोई, जॉय मोदक और उनके सहयोगियों के विरुद्ध अनियमित जमा संग्रहण योजना से संबंधित धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 15.25 करोड़ रुपये मूल्य की बैंक जमाराशियों, सावधि जमाराशियों, स्टॉक ट्रेडिंग खाते, मोटर वाहनों और नकदी को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, गुवाहाटी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (मूल रूप से गीतानगर थाना मामला संख्या 174/2024 के रूप में दर्ज) के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपराधों तथा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के साथ पठित प्रावधानों के अंतर्गत जांच शुरू की। प्राथमिकी में आरोप है कि मेसर्स गोमिलियन्स एलएलपी के साझेदार ऋषिराज गोगोई और जॉय मोदक ने "ट्रेडबुल" नाम से संचालित उत्पाद-आधारित बहु-स्तरीय विपणन उद्यम की आड़ में, किसी भी नियामक से सार्वजनिक जमा राशि एकत्र करने के लिए किसी पंजीकरण या प्राधिकरण के बिना, गुवाहाटी और असम के आसपास के जिलों में आम जनता से प्रतिदिन 0.85 प्रतिशत की निश्चित वापसी तथा लगभग छह माह के भीतर निवेश की गई राशि को दोगुना करने का झूठा वादा करके जमा राशियाँ एकत्र कीं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई जांच से पता चला कि आरोपित व्यक्तियों ने एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से हजारों आम लोगों से जमा राशियाँ एकत्र कीं। संस्था के सर्वर से प्राप्त आंकड़ों से 25,410 से अधिक विशिष्ट निवेशकों की पहचान तथा लगभग 34.93 करोड़ रुपये की कुल भुगतान देयता का पता चला। आगे यह भी पता चला कि मेसर्स गोमिलियन्स एलएलपी के मुख्य बैंक खातों में लगभग 63.41 करोड़ रुपये की जमा राशियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें से अपराध से अर्जित आय को तत्पश्चात संबद्ध संस्थाओं, अर्थात् मेसर्स राइटवे इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स केयरली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड तथा साझेदारी फर्म मेसर्स लोटस कॉरपोरेशन के माध्यम से स्तरित (लेयर) किया गया और प्रवर्तकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में अंतरित कर दिया गया।

आगे यह भी पाया गया कि अपराध से अर्जित आय को उच्च मूल्य के मोटर वाहनों, शेयर बाजार में कारोबार करने वाले खाते, सावधि जमाराशियों तथा मुख्य आरोपित के कब्जे से पूर्ववर्ती अपराध की जांच के दौरान बरामद बेहिसाबी नकदी में समेकित किया गया था।

अतः, ईडी ने संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों की बैंक जमाराशियों, सावधि जमाराशियों, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के पास रखे गए एक ट्रेडिंग खाते, तीन मोटर वाहनों (जिनमें एक पोर्शे और एक मर्सिडीज-बेंज शामिल हैं) तथा नकदी को अनंतिम रूप से कुर्क किया है,जिनका कुल मूल्य लगभग 15.25 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।